RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Misc(Pet.) No. 4417/2017

Mohan Lal S/o Shri Chhoga Ji, Resident Of Sirohi Road, Tehsil-Pindwara, District- Sirohi Rajasthan.

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

----Respondent

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

For Petitioner(s)	:	Mr. Shamboo Singh
For Respondent(s)	:	Mr. Sarwan Kumar, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Judgment

Reserved on 04/07/2024
Pronounced on 11/07/2024
Reportable

01. याची की ओर से यह याचिका विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आबूपर्वत के समक्ष लंबित स्टेट बनाम मोहनलाल, नम्बरी फौजदारी 132/2001 के मामले में पारित आदेश दिनांक 19.09.2017 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है।

02. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से हैं कि याची के विरूद्ध अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आबूपर्वत के समक्ष एक परिवाद अन्तर्गत धारा 07/16 खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में दिनांक 13.08.2001 को प्रस्तुत होने पर प्रकरण में प्रसंज्ञान लिया जाकर अभियुक्त को जरिए समन तलब किया गया, अभियुक्त की तलबी होने पर अभियुक्त अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 16.05.2016 को उपस्थित हुआ और अपनी जमानत करवाई और उसी रोज़ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 13(2) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में प्रस्तुत कर द्वितीय सैम्पल को केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला में भिजवाए जाने की प्रार्थना की। जिस पर डॉयरेक्टर, सी.एफ.एल., पूना को दिनांक 06.09.2016 को द्वितीय सैम्पल ''आईसक्रीम'' को टेस्ट के लिए भेजा गया, जिस पर Form II के तहत Certificate of analysis by the Central Food Laboratory प्राप्त हुआ, जिसमें यह अंकित किया गया कि सैम्पल एनालिसिस योग्य नहीं है और उसका

(Downloaded on 28/01/2025 at 12:02:17 PM)

कारण निम्नानुसार लिखा गया "The Sample is blackened and deteriorated, hence unfit for analysis." इस रिपोर्ट के पश्चात याची की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 13(2) पी.एफ.ए. एक्ट के तहत दिनांक 03.06.2017 को प्रस्तुत कर अभियुक्त को डिस्चार्ज किए जाने की प्रार्थना की, जिसका जवाब परिवादी पक्ष की ओर से दिया गया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बहस सुनी जाकर आक्षेपित आदेश दिनांक 19.09.2017 पारित करते हुए याची का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 13(2) पी.एफ.ए. एक्ट खारिज किया गया, जिससे व्यथित होकर ही यह याचिका प्रस्तुत की गई है।

03. याची की ओर से अपनी याचिका में यह निवेदन किया गया कि पी.एफ.ए. एक्ट के तहत द्वितीय सैम्पल जांच योग्य नहीं पाया गया, जिससे धारा 13(2) पी.एफ.ए. एक्ट के तहत महत्वपूर्ण अधिकार जो याची को हासिल था, जिसका प्रभाव आज्ञापक है। याची इस अधिकार का प्रयोग नहीं कर सका, इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही ड्रोप किए जाने योग्य है। याची की ओर से यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में परिवादी पक्ष के जवाब में गलत अंकित किया है कि पब्लिक हैल्थ लेबोरेट्री की रिपोर्ट परिवाद पेश करने से पूर्व याची को भेजी गई थी, याची ने धारा 13(2) पी.एफ.ए. एक्ट के अधिकारों का प्रयोग 10 दिन के भीतर नहीं किया, जबकि कोई रिपोर्ट परिवाद से पूर्व याची को नहीं भेजी गई। रिपोर्ट भेजे जाने बाबत कोई रसीद या एक्नोलेजमेंट परिवाद के साथ पेश नहीं किया गया। अंत में विभिन्न आधार वर्णित करते हुए विचारण न्यायालय के समक्ष याची के विरूद्ध लंबित नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या 132/2001 स्टेट बनाम मोहनलाल की कार्यवाही व आदेश दिनांक 19.09.2017 को निरस्त कर याची को डिस्चार्ज करने का निवेदन किया।

04. बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता याची की ओर से अपनी याचिका में वर्णित तथ्यों को तर्कों के रूप में प्रस्तुत करते हुए याची को डिस्चार्ज किए जाने व कार्यवाही निरस्त किए जाने की प्रार्थना की और अपनी तर्कों के समर्थन में इस न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत महेश यादव वगैरा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान S.B. Criminal Misc(Pet.) No. 3402/2017 निर्णय दिनांक 07.02.2018 की ओर ध्यान आकर्षित किया और यह निवेदन किया कि धारा 13(2) पी.एफ.ए. एक्ट का प्रावधान आज्ञापक प्रावधान है और देरी से सैम्पल भेजे जाने से सी.एफ.एल. से जांच नहीं हो पाई। इस आधार पर प्रकरण में अभियुक्त को डिस्चार्ज किए जाने की प्रार्थना की।

05. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा इसका सख्त विरोध करते हुए याचिका खारिज किए जाने का निवेदन किया।

(Downloaded on 28/01/2025 at 12:02:17 PM)

06. मैंने उपरोक्त तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया।

07. सर्वप्रथम इस संबंध में विधिक स्थिति पर विचार किया जा रहा है। धारा 13(1) से 13(5) पी.एफ.ए. एक्ट निम्नानुसार हैः—

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

> **13. Report of Public Analyst .- [(1) The Public Analyst shall deliver, in such form as may be prescribed, a report to the Local (Health) Authority of the result of the analysis of any article of food submitted to him for analysis.]**
>
> (2)On receipt of the report of the result of the analysis under sub-section (1) to the effect that the article of food is adulterated, the Local (Health) Authority shall, after the institution of prosecution against the persons from whom the sample of the article of food was taken and the person, if any, whose name, address and other particulars have been disclosed under section 14-A, forward, in such manner as may be prescribed, a copy of the report of the result of the analysis to such person or persons, as the case may be, informing such person or persons that if it is so desired, either or both of them may make an application to the Court within a period of ten days from the date of receipt of the copy of the report to get the sample of the article of food kept by the Local (Health) Authority analysed by the Central Food Laboratory.
>
> (2-A) When an application is made to the Court under sub-section (2), the Court shall require the Local (Health) Authority to forward the part or parts of the sample kept by the said Authority and upon such requisition being made, the said Authority shall forward the part or parts of the sample to the Court within a period of five days from the date of receipt of such requisition.
>
> (2-B) On receipt of the part or parts of the sample from the Local (Health) Authority under sub-section (2-A), the Court shall first ascertain that the mark and seal or fastening as provided in clause (b) of sub-section (1) of section 11 are intact and the signature or thumb-impression, as the case may be, is not tampered with, and despatch the part or, as the case may be, one of the parts of the sample under its own seal to the Director of the Central Food Laboratory who shall thereupon send a certificate to the Court in the prescribed form within one month from the date of receipt of the part of the sample specifying the result of the analysis.
>
> (2-C) Where two parts of the sample have been sent to the Court and only one part of the sample has been sent by the Court to the Director of the Central Food Laboratory under sub-section (2-B), the Court

(Downloaded on 28/01/2025 at 12:02:17 PM)

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

shall, as soon as practicable, return the remaining part to the Local (Health) Authority and that Authority shall destroy that part after the certificate from the Director of the Central Food Laboratory has been received by the Court:Provided that where the part of the sample sent by the Court to the Director of the Central Food Laboratory is lost or damaged, the Court shall require the Local (Health) Authority to forward the part of the sample, if any, retained by it to the Court and on receipt thereof, the Court shall proceed in the manner provided in sub-section (2-B).

(2-D) Until the receipt of the certificate of the result of the analysis from the Director of the Central Food Laboratory, the Court shall not continue with the proceedings pending before it in relation to the prosecution.

(2-E) If, after considering the report, if any, of the Food Inspector or otherwise, the Local (Health) Authority is of the opinion that the report delivered by the public analyst under sub-section (1) is erroneous, the said Authority shall forward one of the parts of the sample kept by it to any other public analyst for analysis and if the report of the result of the analysis of that part of the sample by that other public analyst is to the effect that the article of food is adulterated, the provisions of sub-sections (2) to (2-D) shall, so far as may be, apply.

(3)The certificate issued by the Director of the Central Food Laboratory [under sub-section (2-B)] [Substituted by Act 34 of 1976, Section 10, for " under sub-Section (2)" (w.e.f. 1-4-1976).] shall supersede the report given by the public analyst under sub-section (1).

(4)Where a certificate obtained from the Director of the Central Food Laboratory [under sub-section (2-B)] [Substituted by Act 34 of 1976, Section 10, for " under sub-Section (2)" (w.e.f. 1-4-1976).] is produced in any proceeding under this act, or under sections 272 to 276 of the Indian Penal Code (45 of 1860), it shall not be necessary in such proceeding to produce any part of the sample of food taken for analysis.

(5)Any document purporting to be a report signed by a public analyst, unless it has been superseded under sub-section (3), or any document purporting to be a certificate signed by the Director of the Central Food Laboratory may be used as evidence of the facts stated therein in any proceeding under this Act or under sections 272 to 276 of the Indian Penal Code (45 of 1860):

[Provided that any document purporting to be a certificate signed by the Director of the Central Food Laboratory not being a certificate with respect to the analysis of the part of the sample of any article of food referred to in the proviso to sub-section (1-A) of

(Downloaded on 28/01/2025 at 12:02:17 PM)

RAJASTHAN HIGH COURT

section 16 shall be final and conclusive evidence of the facts stated therein.] [Substituted by Act 34 fo 1976, Section 10, for the proviso (w.e.f. 1-4-1976).]

[Explanation .-In this section, and in clause (f) of sub-section (1) of section 16, "Director of the Central Food Laboratory" shall include the officer for the time being in charge of any Food Laboratory (by whatever designation he is known) recognised by the Central Government for the purposes of this section.] [Inserted by Act 34 fo 1976, Section 10 (w.e.f.1-3-1965).]

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

08. विद्वान अधिवक्ता याची की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत महेश यादव वगैरा (पूर्वोक्त) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के गिरीश भाई दया भाई साह बनाम सी.सी. जानी व अन्य (2009)15 एस.सी.सी. 64 के आधार पर यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि धारा 13(2) पी.एफ.ए. एक्ट के तहत प्रार्थना–पत्र पेश करने के पश्चात सी.एफ.एल. में शीघ्र जांच हेतु भेजा जाना चाहिए। छः वर्ष तक द्वितीय सैम्पल नहीं भेजा जाने से धारा 13(2) पी.एफ.ए. एक्ट के तहत अभियुक्त के अधिकार प्रभावित होते हैं और सी.एफ.एल. में भेजने में की गई देरी के आधार पर ही कार्यवाही निरस्त कर दी गई।

09. इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा विश्राम कुमावत बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, S.B. Criminal Misc(Pet.) No. 3301/2015, निर्णय दिनांक 09.12.2015 के मामले में सी.एफ.एल. की रिपोर्ट में यह आया कि "The Sample is blackended and deteriorated, hence unfit for analysis." इस रिपोर्ट के पश्चात अभियुक्त की ओर से इस न्यायालय में धारा 482 सीआर.पी.सी. की कार्यवाही की गई थी। जिस पर इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा अपने निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत Municipal Corporation of Delhi vs. Ghisa Ram AIR 1967 SC 970. व इस न्यायालय की समकक्ष पीठ के अन्य निर्णयों पर विचार कर यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि धारा 13(2) पी.एफ.ए. एक्ट के तहत अभियुक्त को पब्लिक एनालिस्ट की रिपोर्ट को चुनौती करने का अधिकार आज्ञापक है और इस मामले में सी.एफ.एल. की रिपोर्ट को देखते हुए प्रकरण को लंबित रखे जाना gross abuse of process of law होना मानते हुए फौजदारी प्रकरण की कार्यवाही को निरस्त कर दिया गया।

10. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत NARAYANA PRASAD SAHU Vs. THE STATE OF MADHYA PRADESH, CRIMINAL APPEAL NO. 1312/ 2021, आदेश दिनांक 29.10.2021 में माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायिक दृष्टांत Vijendra vs The State Of Uttar Pradesh AIR 2019 SC

(Downloaded on 28/01/2025 at 12:02:17 PM)

RAJASTHAN HIGH COURT सत्यमेव जयते

4351 पर विचार करते हुए 13(2) पी.एफ.ए. एक्ट के संबंध में पैरा संख्या 5 से 8 में निम्नानुसार विवेचन कर यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि नियम 9 (बी) के मुताबिक परिवाद पेश करने के 10 दिन के भीतर पब्लिक एनालिस्ट की रिपोर्ट अभियुक्त को भेजी जानी चाहिए और उस रिपोर्ट को केवल जरिए डाक भेज देना ही पर्याप्त नहीं है अभियुक्त को रिपोर्ट मिलना आवश्यक है। नियम 9(बी) में रजिस्टर्ड डाक या व्यक्तिशः शब्द होने से रजिस्टर्ड डाक यदि अभियुक्त को नहीं मिलती है तो रिपोर्ट व्यक्तिशः देनी चाहिएः—

Rajasthan High Court सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

> "(5) --------
> Under sub-section (2) of Section 13, it is mandatory for the Local(Health) Authority to forward a copy of the report of the Public Analyst to the person from whom the sample of the food has been taken in such a manner as may be prescribed. Further mandate of sub-section (2) of Section 13 is that a person to whom the report is forwarded should be informed that if it is so desired, he can make an application to the Court within a period of ten days from the date of receipt of the copy of the report to get the sample analysed by Central Food Laboratory. The report is required to be forwarded after institution of prosecution against the person from whom the sample of the article of food was taken. Apart from the right of the accused to contend that the report is not correct, he has right to exercise an option of sending the sample to Central Food Laboratory for analysis by making an application to the Court within ten days from the date of receipt of the report. If a copy of the report of the Public Analyst is not delivered to the accused, his right under sub-section (2) of Section 13 of praying for sending the sample to the Central Food Laboratory will be defeated. Consequently, his right to challenge the report will be defeated. His right to defend himself will be adversely affected. This Court in the case of Vijendra (supra) held that mere dispatch of the report to the accused is not a sufficient compliance with the requirement of sub-section (2) of Section 13 and the report must be served on the accused.
>
> 6. Perusal of the judgments of the learned Magistrate and Sessions Court show that the clerk who dispatched the report was examined by the prosecution. Though the prosecution has relied upon the remarks made by the Postman on the postal envelope, the Postman who has allegedly made the said remarks was admittedly not examined by the prosecution.
>
> 7. Rule 9B of the said Rules reads thus:-
>
> > "9B. Local (Health) authority to send report to person concerned--The Local (Health) Authority shall [within a period of ten days] after the institution of prosecution forward a

(Downloaded on 28/01/2025 at 12:02:17 PM)

RAJASTHAN HIGH COURT सत्यमेव जयते

> copy of the report of the result of analysis in Form III delivered to him under sub-rule (3) of rule 7, by registered post or by hand, as may be appropriate, to the person from whom the sample of the article was taken by the food inspector, and simultaneously also to the person, if any, whose name, address and other particulars have been disclosed under section 14A of the Act: Provided that where the sample conforms to the provisions of the Act or the rules made thereunder, and no prosecution is intended under sub-section (2), or no action is intended under sub-section (2E)n of section 13 of the Act, the Local (Health) Authority shall intimate the result to the Vendor from whom the sample has been taken and also to the person, whose name, address and other particulars have been disclosed under section 14A of the Act, within 10 days from the receipt of the report from the Public Analyst."

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

More than one mode was prescribed by Rule 9B for serving the report of Public Analyst on the accused. In the present case, after the postal packet was returned, not even an attempt was made to personally serve the report on the appellant.

8. On the basis of endorsements of the Postman appearing on the postal envelope containing the report, the High Court has recorded a finding of refusal on the part of the appellant to accept the report. The said finding is obvious erroneous as the endorsements on the postal envelope were not proved by examining the Postman. Moreover, the High Court has glossed over the mandatory requirement under sub- section (2) of Section 13 of serving a copy of the report on the accused. Evidence adduced by the prosecution was of mere dispatch of the report. Hence, the mandatory requirement of sub-section (2) of Section 13 was not complied with. Therefore, the conviction and sentence of the appellant cannot be sustained."

11. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय Municipal Corporation of Delhi vs. Ghisa Ram AIR 1967 SC 970. का अवलोकन किया गया। इस मामले में भी सी.एफ.एल. रिपोर्ट तलब की गई थी, जिस पर यह रिपोर्ट आई कि "The Sample of curd sent to him had become highly decomposed and no analysis of it was possible." जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया था। अपील में भी इस निर्णय को यथावथ रखा गया, जिस पर माननीय उच्चतम न्यायालय में की गई अपील में धारा 13(2) पी.एफ.ए. एक्ट के प्रावधानों पर विचार किया गया और यह स्पष्ट किया कि अभियोजन की वजह से यदि सैम्पल

(Downloaded on 28/01/2025 at 12:02:17 PM)

देरी से भेजा गया और सी.एफ.एल. से जांच नहीं हो पाई तो उसका लाभ अभियुक्त को मिलेगा और दोषमुक्ति के निर्णय की पुष्टि इस मामले में की गई।

12. पूर्व में वर्णित विधिक स्थिति से यह स्पष्ट है कि यदि अभियुक्त की लापरवाही से द्वितीय सैम्पल जांच हेतु भेजे जाने में देरी न हुई हो तो अभियुक्त को धारा 7/16 पी.एफ.ए. एक्ट में दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उक्त विधिक स्थिति को मद्देजर रखते हुए हस्तगत मामले पर विचार किया गया।

13. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित आदेश दिनांक 19.09.2017 में अभियोजन पक्ष के जवाब का उल्लेख किया गया है जिसमें यह अंकित किया गया है कि इस्तगासा पेश करने से पूर्व नियमानुसार मुल्जिम को एफ.एल.एल. रिपोर्ट की कॉपी भेजी गई, जिसमें नियमानुसार मुल्जिम को 10 दिन में धारा 13(2) पी.एफ.ए. एक्ट का प्रार्थना–पत्र पेश करने का अधिकार था किंतु नियत 10 दिन की अवधि में मुल्जिम द्वारा धारा 13(2) पी.एफ.ए. एक्ट का प्रार्थना–पत्र पेश नहीं किया गया तथा इस्तगासा पेश होने की तिथि के 15 वर्ष बाद मुल्जिम न्यायालय में उपस्थित हुआ है, इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड पर विचार किया गया।

14. जो परिवाद पेश किया गया, उसमें यह अंकित नहीं किया गया है कि परिवाद पेश करने से पूर्व पब्लिक एनालिस्ट की रिपोर्ट अभियुक्त–याची को भेजी गई हो। परिवाद प्रिन्टेड प्रफोर्मा पर खाली स्थान को भरकर पेश किया गया है जो जवाब अधीनस्थ न्यायालय में याची के प्रार्थना–पत्र का परिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत किया गया, उसमें अवश्य यह आधार लिया गया परंतु परिवाद पेश करने से पूर्व या परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत करने के पश्चात नियम 9(बी) के अनुसार 10 दिन के भीतर मुस्तगीस पक्ष की ओर से पब्लिक एनालिस्ट की रिपोर्ट अभियुक्त–याची को भेजे जाने बाबत पत्र की प्रति पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की गई है। न ही कोई रसीद ही पेश की गई है,परिवाद के साथ जो दस्तावेज पेश किए गए, उस सूची में भी ऐसा कोई पत्र याची को दिए जाने का उल्लेख नहीं है न ही कोई रसीद का उल्लेख है।

15. याची के प्रार्थना–पत्र के जवाब के साथ भी तथाकथित कोई पत्र जिसके साथ पब्लिक एनालिस्ट की रिपोर्ट याची अभियुक्त को भेजी गई हो, वह पेश नहीं किया गया और न ही किसी प्रकार की पब्लिक एनालिस्ट रिपोर्ट याची को दिए जाने बाबत रसीद ही पत्रावली पर पेश की गई। ऐसी अवस्था में प्रथमदृष्टया ही यह नहीं माना जा सकता कि पब्लिक एनालिस्ट की रिपोर्ट परिवाद पेश करने से पूर्व या परिवाद पेश करने के पश्चात नियमानुसार दस दिन में याची को भेजी गई हो। इस मामले में परिवाद न्यायालय में दिनांक 13.08.2001 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें जरिए समन अभियुक्त

(Downloaded on 28/01/2025 at 12:02:17 PM)

RAJASTHAN HIGH COURT सत्यमेव जयते

को तलब किया गया और दिनांक 23.11.2006 तक जरिए समन तलब किया गया और दिनांक 23.11.2016 को जमानती वारण्ट 5000/– रूपये से तलबी का आदेश दिया गया। दिनांक 19.01.2016 के फर्द अहकाम के मुताबिक अभियुक्त का जमानती वारण्ट बाद तामील प्राप्त होने व धारा 446 की कार्यवाही अलग से खोले जाने का उल्लेख किया और गिरफ्तारी वारण्ट से तलबी जारी करने का आदेश दिया गया। तत्पश्चात दिनांक 16.05.2016 को अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित हुआ और प्रार्थना–पत्र पेश कर अपनी जमानत करवाई और उसी रोज़ धारा 13(2) पी.एफ.ए. एक्ट के तहत द्वितीय सैम्पल जांच हेतु भिजवाए जाने बाबत आवेदन किया। दिनांक 16.05.2016 से पूर्व अभियुक्त को पब्लिक एनालिस्ट रिपोर्ट की जानकारी होना संभव नहीं था। पब्लिक एनालिस्ट की रिपोर्ट न्यायालय में उपस्थित होने पर हुई जानकारी पर उसी रोज़ आवेदन–पत्र पेश कर दिया गया।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

16. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित आदेश में परिवादी के जवाब का उल्लेख किया है जिसमें यह अंकित किया गया है कि जमानती वारण्ट तामील होने के बावजूद 5 माह बाद दिनांक 16.05.2016 को धारा 13(2) पी.एफ.ए. एक्ट का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। जो द्वितीय सैम्पल जांच हेतु भेजने में देरी स्वयं मुल्जिम के स्तर पर हुई है। इस संबंध में जमानती वारण्ट तामील होना मान भी लिया जावे तो उससे किस मामले से संबंधित जमानती वारण्ट था और पब्लिक एनालिस्ट की रिपोर्ट अभियुक्त के विरूद्ध आई है, इसकी जानकारी अभियुक्त को हो गई हो, यह मानने की कतई अभिधारणा नहीं की जा सकती। अभियुक्त जब सर्वप्रथम दिनांक 16.05.2016 को उपस्थित आया, उसी रोज ही पब्लिक एनालिस्ट की रिपोर्ट की जानकारी होना इस मामले में स्पष्ट है और उसी रोज़ धारा 13(2) पी.एफ.ए. एक्ट के तहत आवेदन पत्र अभियुक्त–याची द्वारा पेश कर दिया गया।

17. ऐसी अवस्था में अधीनस्थ न्यायालय में परिवादी पक्ष के द्वारा अपने जवाब में जमानती वारण्ट की तामील हो जाने से अभियुक्त की वजह से देरी होने का जो आधार लिया गया है वह भी कतई चलने योग्य नहीं है। इस मामले में अभियुक्त की वजह से द्वितीय सैम्पल भेजने में देरी होना कतई प्रतीत नहीं होता है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की वजह से ही द्वितीय सैम्पल सी.एफ.एल. में भेजे जाने में देरी होना स्पष्ट है।

18. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित आदेश में इस स्टेज पर प्रकरण में नमूना भेजने में हुए विलम्ब बाबत निर्धारित किया जाना समीचीन नहीं होना मानते हुए प्रकरण के अंतिम प्रक्रम पर इस तथ्य को निर्धारित किया जाना न्यायोचित समझे जाने का उल्लेख करते हुए प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया गया।

(Downloaded on 28/01/2025 at 12:02:17 PM)

RAJASTHAN HIGH COURT सत्यमेव जयते

19. पूर्व में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों में किए गए विवेचन के मद्देनजर जब स्पष्टतया इस न्यायालय के समक्ष तथ्य मौजूद है कि प्रकरण में परिवाद पेश करने से पूर्व अथवा पश्चात पब्लिक एनालिस्ट की रिपोर्ट अभियुक्त–याची को नहीं भेजी गई और अभियुक्त–याची सर्वप्रथम विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.05.2016 को उपस्थित हुआ और उसी रोज़ जमानत करवाकर धारा 13(2) पी.एफ.ए. एक्ट के तहत आवेदन पेश किया गया और द्वितीय सैम्पल की जांच करवाए जाने की प्रार्थना की और सी.एफ.एल. की रिपोर्ट ["The Sample is blackened and deteriorated, hence unfit for analysis."] के मुताबिक सैम्पल जांच योग्य नहीं पाया गया। ऐसी अवस्था में धारा 13(2) पी.एफ.ए. एक्ट के तहत अभियुक्त के महत्वपूर्ण अधिकार से अभियुक्त–याची वंचित हुआ है और अपना बचाव करने में याची असफल रहा है।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

20. ऐसी अवस्था में धारा 13(2) पी.एफ.ए. एक्ट के आज्ञापक प्रावधानों को मद्देनजर रखते हुए इस मामले में विचारण को लंबित रखा जाना gross abuse of process of law होना स्पष्ट है। ऐसी अवस्था में इसी स्टेज पर याची के विरूद्ध लंबित धारा 7/16 पी.एफ.ए. एक्ट की कार्यवाही निरस्त किया जाना विधिसम्मत प्रतीत होता है और याची की याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है।

21. अतः याची मोहनलाल की याचिका अन्तर्गत धारा 482 सीआर.पी.सी. स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांकित 19.09.2017 को निरस्त किया जाता है तथा याची के विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आबूपर्वत में लंबित नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या 132/2001 स्टेट बनाम मोहनलाल, की कार्यवाही निरस्त की जाती है और अभियुक्त–याची को डिस्चार्ज किया जाता है।

22. याचिका के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्र भी निस्तारित किया जाता है।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

3-mayank/-

(Downloaded on 28/01/2025 at 12:02:17 PM)